फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

अशोक कुमार आदि बनाम सुभाष आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट प्रकरण संख्या 50/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
27.03.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जरिये वकील प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । हमने वकील प्रार्थीगण की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण, रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता संख्या 294/291 के ख0 नं0 376 की 9.2320 हैक्टेयर वाद भूमि की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखें । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण जरिये सम्मन जारी होकर दिनांक : 28/04/2023 को पेश हो । (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
6/6/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान एस.डी.ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त पत्रावली दि0 6/6/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2023 कैम्प ... में पेश हुई राजीनामा पेश नहीं उभय पक्ष उपस्थित नहीं पत्रावली दिनांक 23/8/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
2/8/23	वकील प्रार्थीगण उप0। वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर पेशी में पत्रावली ली गई। वकील प्रार्थीगण ने NOT Press किया। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा NOT Press किए जाने के कारण अन्तरिम प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)	[illegible] [illegible] (हस्ताक्षर) 2/8/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:34:14 IST
Reason: SelfAttested